दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 11-06-2025

कथित लव जिहाद: दोनों मध्यस्थता केंद्र भेजे गए

कटघोरा का है मामला, युवक ने लगाई है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, आज फिर होगी सुनवाई

बिलासपुर | कथित लव जिहाद मामले में हाई कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश दिया। युवक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र भेजने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। कटघोरा की एक कॉलेज छात्रा मामला 21 अप्रैल 2025 को कॉलेज जाने के बाद लापता हो गई थी। परिजनों ने तलाश के बाद कटघोरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच में पता चला कि युवती को तौशीफ मेमन के साथ कोलकाता में देखा गया। वहां कथित रूप से उनका निकाह कराया गया। पुलिस ने दोनों को कोरबा लाकर पूछताछ की। शुरुआत में युवती को तौशीफ के घर भेजा गया। बाद में हिंदू संगठनों के हस्तक्षेप पर उसे पहले सखी केंद्र और फिर शक्ति सदन कोरबा में रखा गया। इधर, तौशीफ ने खुद को युवती का पति बताते हुए हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। कोर्ट ने 15 मई को उसे एक लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया था।